

[श्री बागड़ी]

विस्फोट के बारे में। लेकिन एक आदमी आता है और मुझ से कहता है कि आप क्वेश्चन दे दीजिए, काल एटेंशन मोशन नामजूर हो गया। मैंने बार बार यह शिकायत की है कि जब मैं ठीक दस बजे अपना नोटिस दे देता हूँ तो क्यों नहीं मुझ को तहरीरी जवाब दिया जाता। जब मैं बार बार इस बात को आपके सामने रखता हूँ तो आप ऐतराज करते हैं। अब इसका क्या इलाज हो सकता है ?

अध्यक्ष महोदय : ऐसा करना मेरे लिये बहुत मुश्किल होगा और ऐसा करने के लिये मुझे और स्टाफ लेना होगा जो इस वक्त उचित नहीं है। मैं हर मेम्बर के नोटिस का जवाब इस लिये तहरीरी नहीं दे सकता। मैं मेम्बर साहिबान से कहूँगा कि कम से कम इस वक्त वे मेरे जवानी पैगाम पर ही ऐतबार कर लिया करें और उसे काफ़ी समझें। हर मेम्बर को अगर तहरीरी जवाब दिया जाए तो उसके लिए ज्यादा स्टाफ की जरूरत होगी और उसको आज भरती करने के लिये मैं तैयार नहीं हूँ, और मैं चाहता हूँ कि हाउस इस मामले में मुझे सहायता दे।

श्री बागड़ी : उस आदमी ने मुझे इतला दी कि आप क्वेश्चन रख दीजिए। मैंने उससे पूछा कि शार्ट नोटिस या दूसरे किस्म का तो उसने कहा कि मुझे पता नहीं। अब क्या किया जाए।

अध्यक्ष महोदय : स्पीकर के सामने जो नोटिस आवेगा वह उसका फैसला करेगा स्पीकर का दफ्तर इसके लिये नहीं है कि वह बतलाए कि शार्ट नोटिस सवाल दें क्या दूसरा। जब आप देंगे तो फैसला होगा कि आप वह कानून के मुताबिक है या नहीं।

12.12 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

AMENDMENTS TO INDIAN TELEGRAPH RULES

The Minister of Transport and Communications (Shri Jagjivan Ram): I

beg to lay on the Table a copy each of the following rules under sub-section (5) of section 7 of the Indian Telegraph Act, 1885:—

- (i) The Indian Telegraph (Ninth Amendment) Rules, 1962, published in Notification No. S.O. 2708 dated the 1st September, 1962.
- (ii) The Indian Telegraph (Tenth Amendment) Rules, 1962 published in Notification No. S.O. 2851 dated the 15th September, 1962. [Placed in Library, see No. LT-475/62.]

AMENDMENTS TO DELHI MOTOR VEHICLES RULES

The Minister of Shipping in the Ministry of Transport and Communications (Shri Raj Bahadur): I beg to lay on the Table a copy of Notification No. F. 12/69/55-62/Transport published in Delhi Gazette dated the 26th July, 1962 making certain further amendments to the Delhi Motor Vehicles Rules, 1940, under sub-section (3) of section 133 of the Motor Vehicles Act, 1939. [Placed in Library, see No. LT-472/62.]

ANNUAL REPORT OF ALL-INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES FOR 1961-62

ANNUAL ACCOUNTS OF ALL-INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES FOR 1960-61 AND AUDIT REPORT THEREON

The Minister of Health (Dr. Sushila Nayar): I beg to lay on the Table a copy each of the following papers:—

- (i) Annual Report of the All-India Institute of Medical Sciences, New Delhi, for the year 1961-62, under section 19 of the All India Institute of Medical Sciences Act, 1956.

[Placed in Library, see No. LT-473/62.]

- (ii) Annual Accounts of the All-India Institute of Medical Sciences, New Delhi, for the year 1960-61 along with the Audit Report thereon, under